झारखण्ड सरकार

ऊर्जा विभाग

संकल्प

सं०—03/ऊ०(व०)यो०–17/12/..1610 राँची, दिनांक ..18/8/2023

विषयः विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojana) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में झा०बि०वि०नि०लि० को ऋण स्वरूप विमुक्त की गयी सम्पूर्ण राशि रु० 6136.37 करोड़ का 3/4 (रु० 4,602.2775 करोड़) अनुदान एवं 1/4 (रु० 1534.0925 करोड़) हिस्सा पूँजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार के अधीन कार्यरत Distribution Companies के losses में व्यापक कमी लाने तथा ACS (Average Cost of Supply) एवं ARR (Average Revenue Realization) के अंतर को कम कर इन Distribution Companies की वित्तीय स्थिति में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojana) Scheme for Operational and Financial Turnaround of Power Distribution Companies (DISCOMs) योजना अधिसूचित की गयी।

2. उदय योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 30 सितम्बर 2015 तक DISCOM का विभिन्न CPSUs पर Outstanding dues की 100 प्रतिशत राशि तथा 30 सितम्बर 2015 तक DISCOM के Outstanding debt के 75 प्रतिशत राशि (वित्तीय वर्ष 2015–16 में 50 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में 25 प्रतिशत) वहन किये जाने का प्रावधान है।

3. दिनांक 05.01.2016 को उदय योजनान्तर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, झारखण्ड सरकार एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० के बीच त्रिपक्षीय एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया।

4. इस योजना के अन्तर्गत झारखण्ड DISCOM का दिनांक 30.09.2015 की तिथि तक का विभिन्न CPSUs यानि DVC एवं CIL/CCL के बकाया राशि रु० 5553.37 करोड़ एवं DISCOM के Outstanding debt की राशि रु० 1165.35 करोड़ का 50% राशि अर्थात 583.00 करोड़ का भुगतान करने हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में झा०बि०वि०नि०लि० को ऋण स्वरूप रु० 6136.37 करोड़ विमुक्त करने की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं० 210, दि० 31.03.2016 निर्गत की गयी एवं विभागीय आवंटनादेश सं० 52, दि० 31.03.2016 द्वारा उल्लेखित राशि झा०बि०वि०नि०लि० के पी०एल० खाता में हस्तांतरित की गई। इस योजना की घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 15.03.2017 के मद सं० 18 के रूप मे प्राप्त की गई एवं तदनुसार विभागीय संकल्प सं० 1016, दि० 31.03.2017 निर्गत किया गया।

5. उदय योजना के त्रिपक्षीय एकरारनामा की कंडिका 1.2 (d) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में DISCOM Debt & CPSU's Outstanding dues का वहन कर DISCOM को अनुदान के रूप में हस्तांतरित किया जाना था, किन्तु झारखण्ड राज्य में इसे ऋण सवरूप दिखये जाने के कारण इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इस सम्बन्ध में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार तथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० द्वारा कई बार अनुरोध किया जा चुका है।

6. उदय योजना के त्रिपक्षीय एकरारनामा की कंडिका 1.2 (i) में राज्य सरकार द्वारा DISCOM के future losses को निम्नवत वहन किये जाने का प्रावधान हैः–

Year	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
Previous Year's DISCOM loss to be taken over by State	0% of the loss of 2014-15	0% of the loss of 2015-16	5% of the loss of 2016-17	10% of the loss of 2017-18	25% of the loss of 2018-19	50% of the previous year loss

7. उदय योजना के त्रिपक्षीय एकरारनामा की कंडिका 1.3 (c) के अनुसार DISCOM वित्तीय वर्ष 2014–15 में 39.87% AT&C losses को कम कर वित्तीय वर्ष 2018–19 में 15% AT&C losses तक लाने में प्रयास करेगा। साथ ही कंडिका 1.3 (e) के अनुसार DISCOM वित्तीय वर्ष 2018–19 तक ACS (Average Cost of Supply) एवं ARR (Average Revenue Realization) के अंतर को समाप्त करने का भी प्रयास करेगा।

8. दिनांक 22.02.2019 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में उदय योजना के राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में DISCOM Debt & CPSU's Outstanding dues की राशि रु० 6136.37 करोड़ जो झा०बि०वि०नि०लि० को ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गयी, को अनुदान/हिस्सापूँजी में परिवर्तित का निर्देश प्राप्त है ।

9. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 40(10)PF-S/2021-22 दि० 12.05.2023 के आलोक में वित्त विभाग के पत्रांक 346, दिनांक 01.06.2023 द्वारा उदय योजनान्तर्गत निर्गत ऋण से सम्बन्धित सारी जानकारी के साथ, ऋण के अनुदान/हिस्सापूँजी में रूपांतरण हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

10. महाप्रबंधक (वाणिज्य), झा०बि०वि०नि०लि० के पत्रांक 595, दिनांक 09.06.2023 द्वारा उदय योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के विरूद्ध उपलब्धि की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जो निम्नवत है:–

Sl No	Parameter	Unit	Target under UDAY	Overall Achievement FY 18-19	Achievement (As on)
1	Feeder Meter(Urban)	(In no.)	123	Target under UDAY is achieved	March 2017
2	Feeder Metering (Rural)	(In no.)	661	Target under UDAY is achieved	September 2017
3	DT metering (Urban)	(In no.)	No target under UDAY		NA
4	UJALA	(In Lacs)	50	Target under UDAY is achieved	February 2017
5	Street Light LED	(In no.)	541	Target under UDAY is achieved	July 2016
6	Domestic Connections	(In Lacs)	28.8	Target under UDAY is achieved	December 2018
7	DT metering (Rural)	(In no.)	21172	20011	July 2019
8	AT&C Loss	(In %)	15	28.69	March 2019
9	Rural Feeder Audit	(In no.)	761	719	March 2019
10	Feeder Segregation	(In no.)	270	106	July 2019
11	Smart Metering	(In Lacs)	1.63	0 (Bid evaluation of 3.5 Lacs smart meter under Phase I was under progress)	Under progress
12	RPO	(In %)	8.08	1.29	March 2019
13	ACS-ARR GAP	(In Rs/ unit)	NO-GAP	0.58	March 2019
14	Profit/Loss including Subsidy	(In INR Cr)	0	-751.10	March 2019

AT & C losses and ACS-ARR Gap के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक झा०बि०वि०नि०लि० की स्थिति निम्नवत है:–

Year	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
AT & C losses target	35%	28%	22%	15%
AT& C losses achieved by JBVNL	34.84%	31.80%	31.67%	28.69%
ACS-ARR Gap target	3.16	1.99	0.99	0
ACS-ARR Gap achieved by JBVNL	1.22	1.39	0.12	0.58

AT & C losses को कम करने एवं राजस्व संग्रहण में वृद्धि हेतु झा०बि०वि०नि०लि० द्वारा वर्तमान में व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं, जो निम्नवत हैं:–

i) प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। दिनांक 11.04.2023 तक कुल 60518 मीटर लगाये जा चुके हैं।

ii) सुदूर/ग्रामीण इलाकों में कैम्प लगाकर बकाये भुगतान का संग्रहण किया जा रहा है।

iii) उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण एवं ससमय विद्युत विपत्र के भुगतान हेतु जागरूकता कैम्प "ऊर्जा मेला" का आयोजन किया जा रहा है।

iv) पूरे राज्य में दिनांक 1.04.2023 से ओ०टी०एस० योजना (One Time Settlement) के माध्यम से पुराने बकाये के भुगतान संग्रह हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जो जून 2023 तक चलेगा।

v) EPI एवं Online Payment के द्वारा भी राजस्व संग्रहण का कार्य किया जा रहा है।

vi) विभिन्न उपभोक्ताओं HT, LT & LTIS के premises पर सघन निरीक्षण तथा बिजली चोरी के खिलाफ सघन अभियान का कार्य लगातार किया जा रहा है।

झा०बि०वि०नि०लि० की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा RDSS योजनान्तर्गत AT & C losses and ACS-ARR Gap के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक निम्नवत लक्ष्य निर्धारित किया गया है:–

Year	Base Year (2020-21)	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
Target AT & C losses	41.36%	36%	30%	24	19
AT& C losses achieved by JBVNL	41.21%	33.18%	30%(prov.)		
Target ACS-ARR Gap(cash basis)	2.01	1.88	1.61	1.07	0.2
ACS-ARR Gap achieved by JBVNL	2.01	1.89			

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में झा०बि०वि०नि०लि० द्वारा रु० 6136.37 करोड़ के ऋण की राशि को अनुदान/हिस्सापूँजी में परिवर्तित करने, Outstanding debt के शेष 25 प्रतिशत राशि रु० 292.00 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2016–17

से 2020–21 तक के निगम के घाटे की राशि रु० 861.81 करोड़ को राज्य सरकार द्वारा वहन करने का अनुरोध किया गया है।

11. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 11.08.2023 में मद सं० 01 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojana) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में झा०बि०वि०नि०लि० को ऋण स्वरूप विमुक्त की गयी सम्पूर्ण राशि रु० 6136.37 करोड़ का 3/4 (रु० 4,602.2775 करोड़) अनुदान एवं 1/4 (रु० 1534.0925 करोड़) हिस्सा पूँजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:–

i) झा०बि०वि०नि०लि० के घाटे की राशि रु० 861.81 करोड़ का समायोजन राज्य सरकार के Consolidated Fund से RBI द्वारा काटी गई राशि से किया जायेगा।

ii) RDSS योजना के तहत् निर्धारित किये गये लक्ष्यों को निगम द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जायेगा।

आदेशः–यह आदेश दिया जाता है कि इसे झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

18/8/23

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 03/ऊ०(ब०)यो०–17/12/...1610... राँची, दिनांक ...18/8/2023

प्रतिलिपि :– सरकार के अपर सचिव–सह–ई गजट नोडल पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को ई गजट के असाधारण अंक में प्रकाशार्थ प्रेषित।

18/8/23

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 03/ऊ०(ब०)यो०–17/12/...1610... राँची, दिनांक ...18/8/2023

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/8/23

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 03/ऊ०(ब०)यो०–17/12/...1610... राँची, दिनांक ...18/8/2023

प्रतिलिपि :– सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/8/23

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 03/ऊ०(ब०)यो०–17/12/...1610... राँची, दिनांक ...18/8/2023

प्रतिलिपि :– राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य (ऊर्जा) मंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/8/23

सरकार के अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक 03/ऊ०(ब०)यो०–17/12/...1610... राँची, दिनांक ...18/8/2023

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि०, राँची/मा० मुख्य (ऊर्जा) मंत्री के वरीय आप्त सचिव/अवर सचिव (निकासी एवं व्ययन पदा०), ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/8/23

सरकार के अपर मुख्य सचिव